राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,
कला संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी-विंग , सातवां तल, आई पी एस्टेट, दिल्ली सचिवालय,
नई दिल्ली

फा.स. 6(23)/2017/क.स.एवं भा./ 1363 **दिनांक:** 09/8/17

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,
पुराना सचिवालय, दिल्ली ।

विषय: श्री अजय दत्त, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा किये गए विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 285 के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपका **दिनांक 01.08.2017** का पत्र, जो इस कार्यालय को **दिनांक 02.08.2017** प्राप्त हुआ है। **श्री अजय दत्त, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा किये गए विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 285** के संदर्भ में मांगी गई सूचना एवं उत्तर इस प्रकार है :

285. क्या कला संस्कृति एवं भाषा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

प्रश्न संख्या (285)	अतारांकित प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है की सरकार द्वारा स्थाई व् मोबाइल लाइब्रेरी चलाई जा रही है;	हिंदी अकादमी द्वारा 12 व् पंजाबी अकादमी द्वारा 42 लाइब्रेरी चलाई जा रही हैं । दिल्ली सरकार द्वारा कोई भी मोबाइल लाइब्रेरी नहीं चलाई जा रही हैं । इसके अतिरिक्त कला संस्कृति एवं भाषा विभाग प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में लाइब्रेरी चलाने के लिए अनुदान देता है ।
(ख)	यदि हाँ, तो इस हेतु पूर्ण प्रक्रिया क्या है ;	संस्था को पुस्तकालय के लिए हिंदी/पंजाबी अकादमी में आवेदन करना होता हैं ~~तथा इस~~ योजना के तहत क्षेत्र की किसी संस्था या व्यक्ति को पुस्तकालय के लिए निशुल्क स्थान उपलब्ध करना होता हैं । शेष सभी व्यवस्थाएं अकादमी द्वारा सुनिश्चित की जाती हैं । इसके अतिरिक्त कला संस्कृति एवं भाषा विभाग प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में अधिकतम 02 पुस्तकालय खोलने के लिए अनुदान देता है । अनुदान की राशि प्रारम्भ में पुस्तकालय खोलने के लिए 1.03 लाख तदुपरांत इसके सन्चालन हेतु

		40,000/- रु. प्रति वर्ष दो छमाही किश्तों में प्रदान करता है । ये पुस्तकालय क्षेत्र के विधायक की संस्तुति पर पंजीकृत NGO अथवा निवासी कल्याण संघ (RWA) द्वारा खोले जा सकते हैं । इसके लिए प्रार्थी संस्था के पास बिजली, पानी की सुविधा सहित कम से कम 30 पाठकों के बैठने का स्थान होना चाहिए।
(ग)	क्या सरकार की अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र में ऐसी लाइब्रेरी खोलने की कोई योजना है ;	कला संस्कृति एवं भाषा विभाग इस सम्बन्ध में आवेदन प्राप्त होने पर ही पुस्तकालय खोलने के लिए अनुदान देता है ।
(घ)	यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है ; और	उपरोक्तानुसार ।
(ङ)	यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है?	विभाग में वर्तमान में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ हैं । आवेदन प्राप्त होने पर विचार किया जा सकता है ।

माननीय उप-मुख्यमंत्री व् मंत्री (कला संस्कृति एवं भाषा) की पूर्व अनुमति अनुसार उचित कार्यवाही हेतु आपको अग्रसारित किया जा रहा है ।

भवदीय

(बी. एस. वशिष्ठ)
उप-सचिव (क.स.एवं भा.)
दूरभाष: 23392307

फा.स. 6(23)/2017/क.स.एवं भा./ **दिनांक:**

प्रतिलिपि:

1. विशेष कार्य अधिकारी, कार्यालय उप-मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली -110002
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय , पुराना सचिवालय, ब्लॉक-9, दिल्ली-110054.

(बी. एस. वशिष्ठ)
उप-सचिव (क.स.एवं भा.)

सचिव, (कला एवं संस्कृति)
Secretary (Art & Culture)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
Govt. of NCT of Delhi
दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली
Delhi Secretariat, New Delhi